न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

APP-A
crim-1

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय ~~उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटडी~~ जिला भीलवाड़ा

जगदीश बनाम दिनेश

नं. 138 / सन् 2025

मुकदमा		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	
30/6/25	[illegible] दिनांक 13/2/26 द्वारा [illegible] 1959 की धारा 88,89,90,92 व 183, 188 एवं 212 के अन्तर्गत विचाराधीन [illegible] की पत्रावलियां अंतरित होकर आगे सुनवाई [illegible] की बाबत सुनवाई तलब किया [illegible] में अंतरित उक्त पत्रावलियों का सम्पक [illegible] अधिनियम 1959 की धारा 288 (3) में प्रदत्त [illegible] समस्त पत्रावलियों में सिविल न्याय प्रदान किये जाने एवं गुणदोषपूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु केस कोर्ट दिनांक 30/6/25 [illegible] आमा पेशा हुई। वादी का पुत्र पंकज उप. । प्रतिवादी नं -1 उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन हो चुका है। अतः वादी द्वारा अपेक्षित अनुतोष प्राप्त हो जाने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय सेर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 30/6/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	दिनेश/कमल पंकज जगदीश